संख्या–414/77–6–2024–02(पीएसपी/ग्रीनको/2023

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

श्री आत्ची बाबू,
निदेशक,
अमुनरा इंफ्राटेक एण्ड एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड,
बी–201, द्वितीय तल, बी ब्लाक, सोमदत्त चैम्बर–1,
भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली–110066।

औद्योगिक विकास अनुभाग–6 **लखनऊ : दिनांक 12 फरवरी, 2024**

विषय : उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में 1620 मेगावॉट क्षमता की झरिया पम्प स्टोरेज पावर प्लांट परियोजना को सैद्धांतिक अनुमति के संबंध में।

महोदय,

कृपया इन्वेस्ट यूपी में प्रस्तुत अपने दिनांक रहित प्रस्ताव का संदर्भ ग्रहण करें। इसके द्वारा आपने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में 1620 मेगावॉट की ऑफ–स्ट्रीम क्लोज्ड लूप पम्प स्टोरेज परियोजना प्रस्तावित की है। उपर्युक्त प्रस्ताव औद्योगिक विकास अनुभाग–6 के कार्यलाय ज्ञाप संख्या–3917/77–6–23–6009/23/2023, दिनांक 14/12/2023 द्वारा गठित समिति के समक्ष विचारार्थ दिनांक 03/01/2024 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुतिकरण में परियोजना से संबंधित निम्नलिखित सूचना प्रदान की गई–

1. **पम्प स्टोरेज परियोजना (पीएसपी)**

"पम्प स्टोरेज परियोजना" एक स्वच्छ हरित एवं सुरक्षित परियोजना है। पम्प स्टोरेज परियोजना को वॉटर बैटरी के नाम से भी जाना जाता है। पम्प स्टोरेज परियोजना से दृढ़, लचीली एवं प्रेषण योग्य विद्युत का उत्पादन किया जाता है। परियोजना की अवधि 40–50 वर्ष होती है। यह परियोजना गैर–प्रदूषणकारी एवं पर्यावरण के अनुकूल भी है। मुख्य नदी–धारा पर स्थापित न होने के कारण पम्प स्टोरेज परियोजना नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को न तो परिवर्तित करती हैं और न ही कोई क्षति पहुंचाती है। इस परियोजना की अग्रिम लागत एवं भंडारण लागत दोनों ही कम हैं। पम्प स्टोरेज परियोजना में पारम्परिक रूप से नदी की धारा के ऊपरी एवं निचले क्षेत्र में जलाशय बनाए जाते हैं। ऑफ–स्ट्रीम पम्प स्टोरेज परियोजना की ओपन लूप श्रेणी में एक जलाशय प्रमुख नदी तंत्र पर बनाया जाता है तथा दूसरा नदी की धारा से पृथक बनाया जाता है। पम्प स्टोरेज परियोजना की दूसरी श्रेणी क्लोज्ड लूप होती है, इसमें ऊपरी एवं निचले जलाशयों को नदी की धारा से पृथक निर्मित किया जाता है।

CamScanner

पम्प स्टोरेज परियोजना के अंतर्गत आसान पहुंच/नवीकरणीय अथवा सस्ती ऊर्जा उपलब्ध होने की स्थिति में जल को ऊपरी जलाशय में पम्प किया जाता है। विद्युत की मांग एवं लागत अधिक होने की स्थिति में विद्युत का उत्पादन ऊपरी जलाशय से निचले जलाशय में जल को पम्प करके किया जाता है। इस प्रकार, पम्प स्टोरेज परियोजनाएं मांग अधिक होने की स्थिति में विद्युत उत्पादन करती हैं तथा माँग कम होने की स्थिति में ऊपरी जलाशय में जल का भंडारण करती हैं।

2. दिनांक 10.04.2023 को विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत पम्प स्टोरेज परियोजनाओं के विकास को प्रोत्साहित करने हेतु दिशानिर्देशों के प्राविधानों पर चर्चा की गई। स्व–चिन्हित ऑफ स्ट्रीम पम्प स्टोरेज परियोजनाओं के संदर्भ में उक्त दिशानिर्देशों के प्रस्तर 3 के उपप्रस्तर 3.1 (iv) में उल्लिखित प्राविधान निम्नवत वर्णित है–

".....उपर्युक्त विधियों के अतिरिक्त, विकासकर्ता द्वारा संभावित ऑफ–स्ट्रीम स्थलों को स्वयं भी चिन्हित किया जा सकता है, जहां पम्प स्टोरेज परियोजनाओं का निर्माण किया जा सकता है। चूँकि ये स्थल नदी–तंत्र से दूर हैं एवं नदी की धारा जैसे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग नहीं करते, अतः ऐसे स्थलों पर पम्प स्टोरेज परियोजनाओं के विकास हेतु राज्य सरकारों द्वारा आवंटन आवश्यक नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, निर्माण प्रारंभ करने से पूर्व समस्त वैधानिक स्वीकृतियां राज्य एवं केंद्रीय एजेंसियों से प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। इससे देश में ऑफ स्ट्रीम नदी की क्षमता के त्वरित दोहन में सहायता मिलेगी। इस प्रकार से विकसित की गई परियोजनाओं को इन दिशानिर्देशों में उल्लिखित समस्त रियायतें, समय–समय पर सरकार द्वारा निर्गत किए जाने वाले निर्देश के अधीन प्रदान की जाएंगी।"

3. दिनांक 27.09.2023 को अमुनरा इन्फ्राटेक एण्ड एग्रीटेक प्रा. लि. द्वारा पम्प स्टोरेज परियोजना के संबंध में राज्य सरकार के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया हैं। कंपनी स्वयं पम्प स्टोरेज परियोजना हेतु स्थल का चयन करने तथा सर्वेक्षण/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट आदि तैयार कर कर रही है। कंपनी द्वारा अनुरोध किया गया है कि पम्प स्टोरेज परियोजना के स्थल के विषय में एक विस्तृत सर्वेक्षण किया जाना चाहिए तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट आदि की तैयारी में अत्याधिक समय एवं संसाधनों की आवश्यकता होती है। अतः इन परियोजनाओं को विकसित करने से पूर्व सर्वेक्षण आदि किया जा रहा है। कंपनी के आवेदन के अनुसार राज्य सरकार द्वारा एक पत्र निर्गत किया जाना चाहिए, ताकि एक से अधिक कंपनियां समान स्थल पर सर्वेक्षण आदि का कार्य प्रारंभ न करें तथा इस प्रकार की ओवरलैपिंग न हो सके।

4. <u>अमुनरा इन्फ्राटेक एण्ड एग्रीटेक प्रा. लि. की परियोजना का विवरण</u>

परियोजना की प्रस्तावित लागत ₹7,374.57 करोड़ है तथा विद्युत उत्पादन का कुल लक्ष्य 1620 मेगावाट है। परियोजना स्थल जनपद सोनभद्र में है। परियोजना हेतु 333.97 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है, जिसमें से 160.06 हेक्टेयर वन भूमि के रूप में चिन्हित

CamScanner

की गई है। आवर्ती दक्षता (Cyclic efficiency) 80 प्रतिशत अनुमानित है। इस पप्प स्टोरेज पावर प्लांट परियोजना हेतु जलाशय भरने के लिए प्रथम बार 17.96 एमसीएम तथा वाष्पन ह्रास के कारण जलाशय के पुनर्भरण के लिए प्रति वर्ष 2.47 एमसीएम जल की आवश्यकता होगी। वार्षिक ऊर्जा उत्पादन कुल 3404 एम यू होने की संभावना है।

5. दिनांक 03.01.2024 को आहूत बैठक में लिए गये निर्णय के क्रम में जनपद–सोनभद्र, तहसील– राबर्ट्सगंज के झरिया ग्राम में स्थापित की जाने वाली 1620 मेगावाट क्षमता की झरिया पम्प स्टोरेज पावर प्लांट परियोजना को एतद्द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन सैद्धांतिक अनुमति प्रदान की जाती हैः–

क) अमुनरा इन्फ्राटेक एण्ड एग्रीटेक प्रा. लि. द्वारा पूर्व–व्यवहार्यता रिपोर्ट (Pre-feasibility Report) / विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को इन्वेस्ट यूपी तथा उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

ख) उक्त परियोजना हेतु भूमि का अधिग्रहण अमुनरा इन्फ्राटेक एण्ड एग्रीटेक प्रा. लि. द्वारा प्रदेश सरकार की सहायता से स्वयं की लागत एवं व्यय पर निजी स्तर पर प्रारंभ किया जा सकता है।

ग) राज्य सरकार द्वारा सोन नदी से आवश्यक जल के आवंटन की प्रक्रिया के साथ–साथ जल पुनर्भरण हेतु सहयोग प्रदान किया जाएगा। यद्यपि, जल निकासी (Drainage) की सुविधा केवल वर्षा ऋतु के बाढ़ की अवस्था में उत्तर प्रदेश शासन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग एवं केंद्रीय जल आयोग के अनुमोदन के उपरांत प्रदान की जाएगी।

घ) उक्त परियोजना के कार्यान्वयन हेतु सरकार की प्रचलित / वर्तमान नीतियों / नियमों / योजनाओं के अनुसार अनुमोदन / स्वीकृतयां प्राप्त करने में राज्य सरकार द्वारा अमुनरा इन्फ्रैटेक एवं एग्रीटेक प्रा. लि. की सहायता की जाएगी। इस प्रकार के अनुमोदन प्राप्त करने के लिए इन्वेस्ट यूपी को सूचित करते हुए संबंधित विभागों/प्राधिकरणों में आवेदन प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व केवल अमुनरा इन्फ्रैटेक एवं एग्रीटेक प्रा. लि. का होगा।

ङ) औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोतसाहन नीति–2022 के अंतर्गत प्राविधानित प्रोत्साहन–लाभ प्राप्त करने हेतु अमुनरा इन्फ्रैटेक एवं एग्रीटेक प्रा. लि. द्वारा निर्धारित नियमों एवं प्रारूपों के अनुसार इन्वेस्ट यूपी में अपना आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

च) अमुनरा इन्फ्रैटेक एवं एग्रीटेक प्रा. लि. द्वारा स्थानीय व सन्निकट क्षेत्र के लाभ हेतु कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility) के अंतर्गत गतिविधियां निष्पादित की जाएंगी।

CamScanner

छ) परियोजना का विकास, भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय द्वारा इस विषय के संबंध में दिनांक 10.04.2023 को निर्गत पम्प स्टोरेज के विकास को प्रोत्साहित करने हेतु दिशानिर्देशों के प्राविधानों के अधीन होगा।

भवदीय,

12.2.24

(मनोज कुमार सिंह)
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त।

संख्या– /77–6–2024–02(पीएसपी/ग्रीनको)/2023, तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय, श्रमशक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली–110001।
2. सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जोरबाग रोड, नई दिल्ली–110003।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन/राजस्व/सिचाई एवं जल संसाधन/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी
6. जिलाधिकारी, सोनभद्र
7. निदेशक, यूपीनेडा,
8. मुख्य अभियंता, केंद्रीय जल आयोग, सेक्टर–21, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
9. प्रभागीय वनाधिकारी, आरक्षित वन प्रभाग, ओबरा, सोनभद्र।
10. गार्ड फ़ाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार मौर्य)
संयुक्त सचिव।

CamScanner